न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 29/2011 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2011/00084

उनवान

1. दिनेश आयु 63 साल पुत्र श्री ब्रह्मानन्द जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट/प्रतिवादी ।

बनाम

1. सत्यप्रिय पुत्र रूपकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील वैर हाल तहसील भुसावर जिला भरतपुर (मृतक)
   - 1/1. राजेन्द्र कुमार उर्फ गजेन्द्र कुमार पुत्र सत्यप्रिय जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तहसील वैर हाल तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
   - 1/2. श्रीमती सुमन पुत्री सत्यप्रिय पत्नि ओमप्रकाश शुक्ला डीएसए नगर पालिका धौलपुर।
   - 1/3. श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री सत्यप्रिय पत्नि हीरालाल जाति ब्राहम्ण पेशा अध्यापक जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति बयाना।
   - 1/4. श्रीमती ओमवती देवी पुत्री सत्यप्रिय पत्नि रमेश चन्द शुक्ला गॉव रूदावल तहसील बयाना।
2. हरीदत्त पुत्र रूपकिशोर जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर (मृतक)
   - 2/1. धर्मेन्द्र } पिसरान हरीदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
   - 2/2. भारतेन्द्र }
   - 2/3. श्रीमती सुनीता पुत्री हरीदत्त पत्नि रामजीलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बेरू तहसील नगर जिला भरतपुर।
   - 2/4. श्रीमती अनीता पुत्री हरीदत्त पत्नि नन्दराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ऊँच तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   - 2/5. श्रीमती अंगूरी देवी विधवा हरीदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. शिवदत्त पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर (मृतक)
   - 3/1. सुभद्रा आयु 86 साल पत्नि स्व0 श्री शिवदत्त
   - 3/2. योगेन्द्र पाण्डेय आयु 70 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त } जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।
   - 3/3. यतेन्द्र पाण्डेय आयु 66 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   - 3/4. नरेन्द्र पाण्डेय आयु 63 वर्श पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   - 3/5. बालेन्द्र पाण्डेय आयु 59 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   - 3/6. रविन्द्र पाण्डेय आयु 55 साल पुत्र स्व0 श्री शिवदत्त
   - 3/7. सुनयना पत्नि योगेन्द्र शर्मा पुत्री स्व0 शिवदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी महवा जिला दौसा।
   - 3/8. प्रियन्दा उर्फ प्रियन्का आयु 46 वर्ष पत्नि रघुवीर सैरावत पुत्री शिवदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी गढ हिम्मत सिंह तहसील महवा जिला दौसा।
4. ब्रह्मदत्त पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर(मृतक)

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4/1. श्रीमती शान्ति देवी पत्नि स्व0 ब्रह्मदत्त
4/2. यादवेन्द्र कुमार } पुत्रान ब्रह्मादत्त
4/3. धर्मेन्द्र कुमार }
4/4. श्रीमती अंजना पुत्री ब्रह्मदत्त
4/5. श्रीमती सुलोचना पुत्री ब्रह्मदत्त
} जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

5. श्रीमती शारदा देवी पुत्री रूपकिशोर पत्नि राकेशलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी मौहल्ला गोपालगढ भरतपुर (मृतक)
5/1. अशोक कुमार पुत्र राकेश उर्फ रोशन जाति ब्राहम्ण निवासी गोपालगढ मौहल्ला भरतपुर।
6. श्रीमती उर्मिला देवी पुत्री रूपकिशोर पत्नि कुंजीलाल शर्मा निवासी ग्राम मूडिया तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
7. कमला देवी पत्नि शिवचरन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली।
8. श्रीमती विद्या देवी पत्नि हरीशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
9. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि जगदीश प्रसाद ब्राहम्ण निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
10. विरमादेवी पुत्री श्रीलाल जाति ब्राहम्ण तामील जरिये भारद्वाज स्टोन कम्पनी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
11. जगदीश प्रसाद पुत्र श्रीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी हिण्डौन सिटी अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिण्डौन सिटी जिला करौली।
12. भगवान सहाय पुत्र श्रीलाल जाति ब्राहम्ण तामील जरिये भारद्वाज स्टोन कम्पनी हिण्डौन सिटी जिला करौली।
13. श्रीलाल पुत्र नामालुम जाति ब्राहम्ण (मृतक)
14. योगेन्द्र पुत्र शिवदत्त
15. वीरेन्द्र पुत्र सत्यप्रिय
16. भूपेन्द्र पुत्र ब्रह्मदत्त
17. धीरेन्द्र पुत्र हरीदत्त
} जातियान ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड अधिकारी वैर दि0 02.02.2011 व डिक्री दिनांक 16.03.2011 प्र.सं. 481/87, 20/2007, उनवानी ब्रह्मानन्द बनाम सत्यप्रिय वगै0

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग वकील अपीलांट।
2. श्री महेन्द्र भूषण शर्मा वकील रैस्पो0।

निर्णय

दिनांक–29.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 02.02.2011 व डिक्री दिनांक 16.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा वास्ते तकसीम आराजी रकवा 107 बीघा 13 विस्वा मुदर्जे खेवट संख्या 66 व 67 वाके कस्बा भुसावर व दिलाये जाने कब्जा हिस्सा वादी अपीलाण्ट विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके कस्बा भुसावर तहसील भुसावर व जिला भरतपुर में स्थित है।

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

वादी अपीलाण्ट व प्रतिवादी रैस्पो संख्या 01 लगायत 03 के पूर्व पुरूष रूपकिशोर व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 04 के पूर्व पुरूष शंकरलाल मॉ जाये भाई हैं व गंगाप्रसाद के पुत्र हैं। गंगाप्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 09.12.1945 को भुसावर में हो चुका है। विवादित आराजी खेवट संख्या 66 व 67 वाके कस्बा भुसावर पिता की पुश्तैनी भूमि है। वादी अपीलाण्ट के पिता प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूष से मिल हुये थे तथा वादी अपीलाण्ट से नाराज हो गये थे। अतः वादी अपीलाण्ट को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से एक वसीयतनामा दिनांक 24.01.1941 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूषो के हक में पंजीबद्ध करा दी। वादी अपीलाण्ट को जब उक्त तथ्य का ज्ञान हुआ तो वादी अपीलाण्ट ने उक्त वसीयत को अवैध व प्रभावहीन घोषित किये जाने व सम्पत्ति का विभाजन हेतु सिविल सूट दायर किया जो खारिज हो गया। जिसकी अपील न्यायालय सिविल जजी भरतपुर में की गयी जो दिनांक 26.04.1950 को वसीयतनामा अवैध व बेअसर करार दिया जाकर दावा तकसीम डिक्री कर दिया। किन्तु विवादित आराजीयात बाबत् राजस्व न्यायालय में नियमानुसार कार्यवाही कराने की आज्ञा पारित की दौराने मुकदमा मंसूखी वसीयतनामा प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 के पूर्व पुरूषो ने वसीयतनामा के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करा लिया। विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट का 1/3 हिस्सा है। प्रकरण में राजीनामा भी हो गया है। प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने दिनांक 06.02.1970 को न्यायालय सहायक कलक्टर वैर में विवादित भूमि में वादी अपीलाण्ट के अधिकारो के खिलाफ एक डिक्री प्राप्त कर ली जिसका वादी अपीलाण्ट को दिनांक 12.06.1971 को ज्ञान हुआ। उक्त डिक्री के आधार पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 वादी अपीलाण्ट के खातेदारी अधिकारो से वंचित करने की धमकी दे रहे हैं एवं खडी फसल को नष्ट करने पर आमदा हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी से वादी अपीलाण्ट को बेदखल नहीं करने एवं प्रतिवादीगण रैस्पो0 को हुक्म इमतनाई दवामी से पाबन्द करने एवं डिक्री दिनांक 06.02.1970 को मंसूख किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2011 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि जो डिक्री दिनांक 06.02.1970 को रैस्पो0 संख्या 14 लगायत 17 के पक्ष में पारित की गयी है। उसमें नाबालिगान का वली उनके पितागण को ना बनाया जाकर उनकी माताओ को बनाया गया है, जो कि गैर कानूनी है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया जब ब्रहमानन्द बनाम रूपकिशोर का मुकदमा न्यायालय हाजा में विचाराधीन था और उसमें राजीनामा के आधार पर अपीलाण्ट के पिता ब्रहमानन्द को दिया गया था एवं उसमें रैस्पो0 संख्या 14 लगायत 17 के पितागण पक्षकार मुकदमा थे तब उन्होनें गैर कानूनी तरीके से इन्ही खसरा नम्बरान को शामिलल करते हुये एक दावा बिना अपीलाण्ट के पिता ब्रहमानन्द को पक्षकार बनाये हुये रैस्पो0 संख्या 14 लगायत 17 की ओर से पेश कर दिया, जो गैर कानूनी व अपीलाण्ट के पिता की जमीन को हडपने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार डिक्री दिनांक 06.02.1970 निरस्त किये जाने योग्य होने के बाबजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट के दावे को खारिज करने में भूल की है। यह है कि विवादित आराजी पर राजीनामा के आधार पर अपीलाण्ट के पिता का कब्जा काश्त था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा ना मानने में त्रुटि की है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को अंदर मियाद ना मानने भी त्रुटि की है। अंत में अपील

अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन ओदश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। वादी अपीलाण्ट को जब अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हो गया था, तो अपीलाण्ट को उक्त डिक्री के खिलाफ संबंधित न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी। परन्तु अपीलाण्ट ने कोई अपील नहीं की। रैस्पो0 द्वारा किसी भी प्रकार से अपीलाण्ट को धोखे में रखकर न्यायालय से कोई डिक्री हासिल नहीं की गयी है। अपीलाण्ट ने डिक्री दिनांक 06.02.1970 को मन्सूख कराने का जो वाद प्रस्तुत किया है। वह रैस्पो0 को महज परेशान करने के लिये प्रस्तुत किया गया है।खेवट संख्या 66 व 67 में दर्ज आराजी अलग–अलग है एवं पृथक–पृथक रूप से खातेदारी में दर्ज है। यह है कि विवादित आराजी सवंत 2005 से ही अलग अलग खेवट में दर्ज होकर विभाजन हो चुका है एवं रैस्पो0 संवत 2005 से ही विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हैं। वादी अपीलांट ने खेवट संख्या 90 में दर्ज आराजी का कोई जिक्र नहीं किया। संवत 1951 से 1954 की रसीद लगान प्रदर्श डी–4 डी–5, ढालवांछ जमाबंदी संवत 2004 से खेवट नम्बर 67 में दर्ज आराजी का पृथक से वादी अपीलाण्ट के नाम इंद्राज होने की पुष्टी होती है। उक्त दस्तावेज से बखूबी यह प्रमाणित होता है कि वादी अपीलाण्ट को गंगाप्रसाद की मृत्यु दिनांक 09.12.1945 के पश्चात् ही 1/3 हिस्सा अर्थात 35 बीघा 17 विस्वा जमीन कब्जे में प्राप्त हो चुकी थी। शेष 2/3 हिस्सा की आराजी रैस्पो0 को कब्जे में प्राप्त हुयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व पृथक–पृथक इंद्राज हो गये थे। राज लगान वसूल ना होने पर तहसीलदार वैर ने अपीलाण्ट को मफरूर करते हुये जरिये नामान्तकरण संख्या 967 दिनांक 09.07.1957 को खेवट संख्या 67 की आराजी से अपीलाण्ट को बेदखल कर कब्जा किरोडीलाल पाण्डेय को देकर सुपुर्द कर दिया। अपीलाण्ट ने अपनी खेवट नम्बर 67 की आराजी के मालकाना हक का मुआवजा राज्य सरकार से बाण्ड संख्या 15306 लगायत 15311 से जागी कलक्टर भरतपुर से प्राप्त कर चुका है। इस प्रकार वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई अधिकार व कब्जा नहीं रहा। यह है कि खेवट संख्या 67 की आराजी में से 11 बीघा 17 विस्वा की आराजी को सुपुर्ददार किरोडीलाल पाण्डेय से रैस्पो0 02 ने पट्टे में लेकर कब्जा प्राप्त किया था जिस पर रैस्पो0 विधि पूर्वक रूप से काश्त करते व काबिज चले आ रहे हैं। अतः जमींदारी विश्वेदारी उन्मूलन लागू होने पर रूपकिशोर व शंकरलाल जरिये नामान्तकरण संख्या 1148 दिनांक 24.09.1960 से खातेदार दर्ज हुये हैं। यह है कि राजीनामा में राजस्थान सरकार की सहमति के बिना मान्य नहीं है तथाकथित राजीनामा में जिस आराजी का उल्लेख है। राजीनामा के दिन वादी अपीलाण्ट विवादित आराजी के खातेदार ही दर्ज नहीं थे। अतः राजीनामा प्रारम्भ से ही शून्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2016(2) पेज 966 का उद्धरण प्रस्तुत किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकीयॉ निर्धारित की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकियों को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की कारण सहित विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। वादी अपीलाण्ट अपने जिम्में की किसी भी तनकी को साबित करने में सफल नहीं हुये हैं। यदि वादी अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.02.1970 से कोई उज्र था तो उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से वादी अपीलाण्ट का दावा मियाद बाहर माना है। इसी प्रकार स्वयं वादी अपीलाण्ट अपनी

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जिरह में विवादित आराजी पर कब्जा काश्त रैस्पो0 का बताता है। अतः बिना कब्जे के वादी अपीलाण्ट रैस्पो0 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अधिकारी नहीं होते हैं। जहॉ तक विवादित आराजी का राजीनामा से वादी अपीलाण्ट के पिता को प्राप्त होने का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा में ट्राइल की आवश्यकता बताई है। क्योंकि राजीनामा से सभी पक्षकार सहमत नहीं हुये थे। अतः कथित राजीनामा के आधार पर भी वादी अपीलाण्ट को लाभ प्राप्त नहीं होता है। वादी अपीलाण्ट के बाबा गंगाप्रसाद पाण्डे की मृत्यु के पश्चात् विवादित आराजी खेवट संख्या 90 रकवा 107 बीघा 13 विस्वा वाके भुसावर संवत 1995 थी जिसमें 2/3 हिस्सा आराजी प्रतिवादी रैस्पो0 रूपकिशोर व शंकरलाल को प्राप्त हुयी व 1/3 हिस्सा आराजी वादी अपीलाण्ट के पिता ब्रहमानन्द को खेवट संख्या 67 से प्राप्त हुयी। प्रतिवादी रैस्पो0 के पूर्व पुरूषो रूपकिशोर व शंकरलाल को खेवट संख्या 66 प्राप्त हुयी, जो जमाबन्दी संवत 2008–2011 में अंकित है। परन्तु वादी अपीलाण्ट के पिता ब्रहमानन्द ने खेवट संख्या 67 की आराजी का मालिकाना अधिकार का मुआवजा राज्य सरकार से प्राप्त कर लिया, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य बांड संख्या 15306 लगायत 15311 से सिद्ध है। इसके अलावा आराजी का लगान वसूल ना होने पर तहसीलदार वैर ने वादी अपीलाण्ट के पिता को मफरूर करते हुये जरिये नामान्तकरण संख्या 967 दिनांक 09.07.1957 को खेवट संख्या 67 की आराजी से वादी अपीलाण्ट के पिता को बेदखल करते हुये कब्जा आराजी किरोडीलाल पाण्डेय को दे दिया, जो प्रदर्श डी–7 से प्रमाणित है। उपरोक्त विवेचनानुसार विवादित आराजी पर संवत 2009 से ना तो वादी अपीलाण्ट के पिता का एवं ना ही वादी अपीलाण्ट का कब्जा काश्त साबित होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उचित रूप से वादी अपीलाण्ट का दावा काबिज आराजी ना होने के कारण खारिज किया गया है। जिसमें हम हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 02.02.2011 व डिक्री दिनांक 16.03.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर